(48)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 474/1995 विरूद्ध आदेश दिनांक 13-2-1995 - पारित - व्दारा - आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर - प्रकरण कमांक 19/1992-93 निगरानी

1- गिरराज प्रसाद 2- नारायण
3- बाबूलाल 4- इन्दर पुत्रगण स्व.रामकरण
5- महिला रोचनी वाई
6- महिला कुन्ती वाई स्व.रामकरण
दोनों पुत्रियां
निवासी ग्राम अजापुरा तहसील श्योपुर कलॉ

तत्का.जिला मुरैना वर्तमान जिला श्योपुर ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- म0प्र0शासन
2- हरीशॅकर पुत्र दौलतराम धाकड़
(मृतक वारिस)
भानुप्रताप पु, स्व0 हरीशंकर
निवासी ग्राम अजापुरा तहसील श्योपुर कलॉ

तत्का.जिला मुरैना वर्तमान जिला श्योपुर ---अनावेदकगण

(अपीलांट्स की ओर से अभिभाषक श्री ए0के0अग्रवाल)
(शासन की ओर से पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)
(अनावेदक कमांक-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 8 - 6 - 2016 को पारित)

आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 19/1992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-2-1995 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 की धारा 42 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) श्योपुर के न्यायालय मे धारक रामकरण पुत्र मोतीलाल के विरूद्ध म0प्र0 कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 (आगे जिसे अधिनियम सम्बोधित किया गया है) के अंतर्गत प्रकरण कमांक 2/77-78 अ 90 बी (3) पंजीबद्ध किया गया तथा धारक व्दारा धारित भूमियों की जांच कर आदेश दिनांक 29-4-82 पारित करके धारक की 8.260 एकइ भूमि अतिशेष घोषित की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 23/81-82 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-12-83 से सक्षम अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण सिविल न्यायालय की डिक्री अनुसार विचार कर धारक की सुनवाई करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने तद्नुसार कार्यवाही कर धारक के विरूद्ध प्रकरण में सुनवाई कर आदेश दिनांक 11-6-86 पारित करके 4.130 एकइ भूमि अतिशेष घोषित की। इससे दुखी होकर महिला गुलाब पत्नि स्वर्गीय विजय शॅकर, नवल किशोर पुत्र विजयशॅकर, ब्रजमोहन पुत्र विजयशंकर, चन्द्रकान्ता पुत्र विजयशंकर, मोहिनी पुत्री विजयशॅकर, गुडडी उर्फ मूडी पुत्री विजय शॅकर ने अपर कलेक्टर श्योपुर के समक्ष अपील कमांक 33/ 85-86 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 30:1.88 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 19/1992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-2-1995 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि भूमि सर्वे कमांक 116 रकबा 38 वीघा 15 विसवा, सर्वे कमांक 54 रकबा 52 वीघा 10 विसवा एंव सर्वे कमांक 116/1 मिन 2 भाग 1 का रकबा 4.128 तथा सर्वे कमांक 197 के मिन रकबा 3 वीघा 14 विसवा और सर्वे कमांक 294 के मिन रकबा 4 वीघा 19 विसवा कुल 32 वीघा भूमि महिला कानी के खातों में से ग्राम अजापुर के भूमि सर्वे कमांक 54 में से मिन रकबा 4.800 मृतक धारक के वारिसान को धारा 9 कृषि सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत अतिशेष घोषित नहीं की जा सकती है। उन्होंने अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित निर्णयों को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

5/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव आयुक्त, चम्बल संभाग,ग्वालियर के आदेश दिनांक 13-2-95, अपर कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनांक 30-1-88 तथा सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 11-6-86 का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर कलेक्टर श्योपुर के अपील प्रकरण कमांक 23/81-82 में पारित आदेश दिनांक 13-12-83 से प्रकरण प्रत्यावर्तित होकर सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) श्योपुर के न्यायालय मे वापिस पहुंचा, तब उनके व्दारा मृतक रामकरण के सभी वारिसान के विरूद्व एक ही प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की है सुनील कुमार विरूद्व सक्षम प्राधिकारी एंव कलेक्टर मन्दसौर 1981 राजस्व निर्णय 200 का न्यायिक दृष्टांत है कि पुनरीक्षण के लम्बित रहते यदि धारक की मृत्यु हो जाती है तो प्रकरण समाप्त करके उसके उत्तराधिकारियों के विरूद्व, नवीन सिरे से कार्यवाही की जावेगी, परन्तु सक्षम अधिकारी श्योपुर ने मृतक धारक रामकरण पुत्र मोतीलाल के सभी वारिसान के विरूद्व एक ही प्रकरण में कार्यवाही विचारित की है जबकि प्रत्येक वयस्क धारक के विरूद्व प्रथक से प्रकरण कायम

करके कार्यवाही करना चाहिये थी । इस प्रकार सक्षम अधिकारी की कार्यवाही प्रारंभ से ही दूषित है।

6/ सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 11-6-86 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने मृतक रामकरण के वारिसानों के विरूद्ध प्रकरण अवश्य पंजीबद्ध किया है परन्तु सकल भूमि मृतक रामकरण की मानते हुए उसमें से मृतक के वारिसान की पात्रता निर्धारित करके भूमि अतिशेष घोषित की है एंव इन्हीं तथ्यों के ओत-प्रोत अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 30.1.88 है। महारानी विरूद्ध म0 प्र0 राज्य 1977 रा0नि0 245 तथा पानावाई विरूद्ध म0प्र0राज्य 1977 रा0नि0 105 के न्यायिक दृष्टांत हैं कि मृतक धारक के समस्त वारिसान बराबर बराबर हिस्से के उत्तराधिकारी होंगे एंव समस्त बैध उत्तराधिकारी समान हिस्सा प्राप्त करेंगे, तदुपरांत प्रत्येक उत्तराधिकारी के विरूद्ध अधिनियम के अधीन प्रकरण कायम कर उच्चतम सीमा अधिनियम के अधीन कार्यवाही विचारित होगी, परन्तु विचाराधीन प्रकरण में सक्षम अधिकारी ने नियमानुसार कार्यवाही नहीं की है जिसके कारण सक्षम अधिकारी का आदेश दिनांक 11-6-86 एंव अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 30-1-88 तथा आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर पारित आदेश दिनांक 13-2-1995 दोषपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 30-1-88 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश में विवेचित किया है कि हरीशॅकर के हित में स्वत्व घोषणा की पारित डिक्री को सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिसके कारण सक्षम अधिकारी का पूर्व का आदेश दिनांक 29-4-82 विद्यमान है, जबकि इन्हीं अपर कलेक्टर ने सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 29-4-82 को आदेश दिनांक 13-12-83 से निरस्त कर दिया है तब सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 29-4-82 को विद्यमान मानना त्रृटिपूर्ण निर्णय है और इस

तथ्य पर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना ने आदेश दिनांक 13 फरवरी 1995 पारित करते समय ध्यान न देने की भूल की है।

8/ प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि जब हरीशॅकर के हित में व्यवहार न्यायालय की डिक्री कमांक 74/75 ई0दी 13 वीघा भूमि वावत् है व्यवहार न्यायालय की डिक्री कमांक 74/75 ई0दी0 पर विचार कर इसे धारक की भूमि में सम्मिलित होना मानना त्रृटिपूर्ण निर्णय है, क्योंकि अधिनियम की धारा 11 के अनुसार एंव हबीब खॉ विरूद्ध म0प्र0राज्य 1983 रा0नि0 441 में व्यवस्था दी गई है कि व्यवहार न्यायालय की आज्ञप्ति सक्षम प्राधिकारी पर बंधनकारी है, परन्तु सक्षम अधिकारी श्योपुर ने आदेश दिनांक 11-6-86 पारित करते समय इन तथ्यों की अनदेखी की है।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 19/1992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-2-1995 , अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 33/85-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-1-88 तथा सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) श्योपुर व्दारा प्रकरण पारित आदेश दिनांक 11-6-86 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) श्योपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि मूल धारक के सभी वारिसान एंव मूल धारक व्दारा धारित की गई समस्त भूमियों के वर्तमान अभिलिखित भूमिस्वामियों के विरूद्ध प्रकरण कायम कर हितबद्धों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिवत् आदेश पारित किया जाय।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल